

प्रेषक,

जे० एस० दीपक
सचिव, बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2006

विषय : बी०टी०सी० चयन - 2004 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्धशासकीय पत्रांक -राशै/14302 /2005-06 दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बी०टी०सी० -2004 हेतु जारी शासनादेश संख्या-54/15-11-2004-1499(3)/04 दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 4(क),(ख),(ग), (ड) में परिवर्तन किया गया है तथा उक्त शासनादेश के अन्य संगत बिन्दु यथावत् रहेंगे।

2- शासनादेश संख्या-54/15-11-2004-1499(3)/04 दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 4(क),(ख),(ग) में परिवर्तन निम्नवत् हैं :-

पूर्व व्यवस्था		परिवर्तित व्यवस्था
प्रस्तर-4		
चयन की प्रक्रिया	परीक्षा का गुणांक	
(क) शैक्षिक योग्यता		
1- हाई स्कूल	प्राप्तांक प्रतिशत x 1/10	हाई स्कूल, इण्टर एवं स्नातक प्राप्तांक प्रतिशतों का योग
2- इण्टर	प्राप्तांक प्रतिशत x 2/10	
3- स्नातक	प्राप्तांक प्रतिशत x 4/10	

9/1

<u>(ख) अधिभार</u>		
1- एन0सी0सी0		
(अ) सी0प्रमाण पत्र	05 अंक	कोई अधिभार अंक नहीं रहेगा।
(ब) बी0 अथवा सी0-1 प्रमाण पत्र	03 अंक	कोई अधिभार अंक नहीं रहेगा।
2-खेलकूद		
(अ) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग	05 अंक	कोई अधिभार अंक नहीं रहेगा। नवीन व्यवस्था इस शासनादेश के प्रस्तर-5 पर अवलोकनीय है।
(ब) राज्य स्तर पर प्रतिभाग	03 अंक	
<u>(ग) लिखित परीक्षा</u>	100 अंक	परीक्षा नहीं होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बी0टी0सी0 -2004 के परिक्षार्थियों के चयन हेतु हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर जनपदवार वंरीयता सूची के द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार पूर्व में प्रचलित शैक्षिक योग्यता की गणना की विधि में अन्तर किया गया है एवं अधिभार अंक व लिखित परीक्षा समाप्त कर दी गयी है।

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-54/15-11-2004-1499(3)/04 दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 4 (ड) में जनपद स्तर पर गठित चयन समिति में भी परिवर्तन किया गया है। प्रशिक्षार्थियों के चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् 'चयन समिति' गठित की जायेगी :-

- | | |
|---|------------|
| (1)- जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| (2)- मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| (3)- जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| (4)- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| (5)- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य सचिव |

अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार कर चयन की समस्त कार्यवाही उपर्युक्त जनपदीय चयन समिति सम्पन्न करायेगी।



